लेखा · योग

१११. उत्तरदेयता के वैकल्पिक दृष्टिकोण | मार्च २००५ / रा. फाल्गुन १९२६; (जून - ०६ में प्रकाशित)

इस अङ्क मे

धार्मिक कार्यों के लिए दान	१
इस विचार-विमर्श का सिहांवलोकन	१
हिन्दू दान	२
इस्लामिक सदक़ः	२
ईसाइयों द्वारा दान	२
निष्कर्ष	२
गैर-धार्मिक कार्यों के लिए दान	२
१. प्रत्यक्ष दान	२
२. अक्षयनिधि या न्यास	३
३. सार्वजनिक रूप से धन उद्ग्रहण	३
डी ए डी एस स्वरूप	३
शब्दावली	४

अनुदान-प्रदान करने तथा लोकोपकार के संदर्भ में उत्तरदेयता की अवधारणा को भली-भाँति समझा गया है। हालाँकि, यह कथन गैर-धार्मिक प्रयोजनों के लिए दी गई दानराशि पर ही अनिवार्यतः लागू होता है। धार्मिक संगठनों को दिए गए दान के सम्बन्ध में लोग इसकी उत्तरदेयता के प्रति कम चिन्तित होते हैं।

उदाहरण के लिएः- किसी भी ईसाई गिरिजाघर (चर्च) के सदस्य इस बात के लिए इतने अधिक उत्सुक नहीं होंगे कि उनके द्वारा दी गई धनराशि का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। यही तथ्य मुस्लमानों द्वारा दिए गए ज़क़ात पर भी लागू होता है। इसी प्रकार, जब हिन्दू दान देते हैं तो उस समय भी हम यही दृष्टिकोण पाते हैं।

लेखा-योग के इन अङ्कों में इस दृष्टिकोण के दार्शनिक एवं नैतिक बन्धनों को समझने का प्रयास किया गया है। तत्पश्चात् हम इस विषय को गैर-धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए दान के साथ जोड़कर यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें आधुनिक दाताओं के लिए कोई शिक्षा मिलती है।

धार्मिक कार्यों के लिए दान

धार्मिक कार्यों के लिए दान क्या होता है? धार्मिक विश्वास के कारण दी गई किसी भी धनराशि को धार्मिक कार्यों के लिए दान कहा जाता है। ऐसी दान राशि का उपयोग धार्मिक, आध्यात्मिक या धर्मनिरपेक्ष कार्यों के लिए किया जा सकता है।

धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए दान को हम दो खण्डों में बाँट सकते हैंः- प्रथमतः किसी विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के लिए दिया गया दान तथा द्वितीयतः सार्वजनिक दीनवत्सलता के लिए दिया गया दान। इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए दान की एक तृतीय श्रेणी भी होती है जिसको आदेशात्मक दान कहा जाता है। यह प्रावधान मुख्यतः अरब-यहूदी मूल के अद्वैतवादात्मक-मतों[१] में पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए दान को प्राप्तकर्त्ताओं के अनुसार दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष दान है - इसमें धनराशि प्रत्यक्षतः ही लाभार्थी तक पहुँच जाती है। दूसरा अप्रत्यक्ष दान है, जिसमें धनराशि किसी मध्यस्थ को दी जाती है। यह मध्यस्थ कोई विश्वासपात्र व्यक्ति या कोई संगठन हो सकता है। फिर यह मध्यस्थ इस धनराशि या सुविधा को अन्तिम लाभार्थी तक पहुँचा देता है।

इस विचार-विमर्श का सिहांवलोकन

लेखा-योग के आगामी अङ्कों में हम इस तथ्य पर चर्चा करेंगे कि हिन्दू, मुसलमान एवं ईसाई दीनवत्सलता तथा उत्तरदेयता के प्रति किस प्रकार के

[१] यहूदियों, इसाईयों एवं मुसलमानों का धार्मिक मत

विचार रखते हैं। इससे हमें धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए दान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, हमें इस दान के दार्शनिक पहलुओं से सम्बन्धित कुछ रूचिकर तथ्यों की भी जानकारी होगी।

हिन्दू दान

हिन्दुओं द्वारा दिए गए दान में त्याग का भाव प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप दाता दान दी गई वस्तु से स्वयं को पृथक कर लेता है। दाता को यह भी निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती कि दान का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। इस प्रकार के प्रकरणों में उत्तरदेयता का प्रश्न ही असङ्गत हो जाता है।

हिन्दुओं द्वारा दिए गए दान के सम्बन्ध में लेखा-योग के अङ्क संख्या ११२ में विस्तार से चर्चा की गई है।

इस्लामिक सदक़ः

मुस्लमानों द्वारा मुख्यतः दो प्रकार के दान दिए जाते हैंः- सदक़ः एवं ज़क़ात। *सदक़ः* स्वैच्छिक एवं प्रत्यक्ष रूप से दिया गया दान होता है तथा किसी भी प्रकार की उत्तरदेयता से सम्बन्धित नहीं होता क्योंकि इसे अल्लाह को दिया गया ऋण माना जाता है।

ज़क़ात अनिवार्य रूप से दिया जाने वाला दान होता है और इसकी अवधारणा संस्थानिक होता है। इस प्रकार के दान का उपयुक्त लेखाङ्कन करना अपेक्षित होता है। हालाँकि, यह एक प्रकार का कर जैसा होता है तथा इसकी उत्तरदेयता के प्रश्न का 'उम्मत'[२] से कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह इमाम या राज्य का उत्तरदायित्व होता है कि जहाँ कहीं भी उनके द्वारा ज़क़ात एकत्रित किया जा रहा है, वे उसके लिए उपुक्त प्रक्रिया निर्धारित करें।

मुस्लमानों द्वारा दिये जाने वाले दान के सम्बन्ध में लेखा-योग के अङ्क संख्या ११३ में विस्तार से चर्चा की गई है।

ईसाइयों द्वारा दान

ईसाइयों द्वारा दिए जाने वाले दान को भी इसी प्रकार से संरचित किया गया है। दशांश-कर (*टाइद*) भी एक अनिवार्य कर के समान होता है। हालाँकि, आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष नियमों के अन्तर्गत इसको प्रवर्तित नहीं किया जाता। अधिकांशतः चर्च के सदस्य स्वयं को दशांश-कर की उत्तरदेयता के प्रति सम्बन्ध नहीं रखते।

हालाँकि, ईसाइयों द्वारा स्वैच्छिक दीनवत्सलता एक भिन्न विषय है। यह मुख्यतः संस्थानों के माध्यम से दी जाती है और प्रयोजन मूलक होती है। इसके फलस्वरूप कुछ दाता इस धनराशि के उपयुक्त उपयोग के प्रति चिन्तित होते हैं।

ईसाइयों द्वारा दिए गए दान के सम्बन्ध में लेखा-योग के अङ्क संख्या ११४ में विस्तार से चर्चा की गई है।

निष्कर्ष

एक बार उपर्युक्त तीनों धार्मिक दान की विचार धाराओं का विस्तार से निरीक्षण कर लेने के पश्चात् हम अपने निष्कर्षों को समेकित करने का प्रयास करेंगे। फिर हम यह देखेंगे कि क्या जिस विधि से विभिन्न धर्मों में उत्तरदेयता से सम्बन्धित प्रकरणों का निपटान किया जाता है उनसे आधुनिक गैर-धार्मिक कार्यों के दान-दाताओं के लिए कोई उपयोगी शिक्षा मिलती है।

हम इस विचार-विमर्श का समापन लेखा-योग के प्रस्तुतिकरण 'उत्तरदेयता के प्रति एक नए दृष्टिकोण' द्वारा करेंगे।

इन सभी विचारों को धार्मिक कार्यों के लिए दान से सम्बन्धित श्रृंखला के अन्तिम अङ्क लेखा-योग संख्या ११५ में प्रस्तुत करेंगे।

गैर-धार्मिक कार्यों के लिए दान

धार्मिक कार्यों के लिए दान पर विचार-विमर्श करने से पूर्व हम गैर-धार्मिक कार्यों के लिए दान की उत्तरदेयता पर विचार कर लेते हैं। इससे धार्मिक कार्यों के लिए दान से सम्बन्धित हमारी चर्चा के लिए एक सन्दर्भ प्राप्त हो सकेगा।

गैर-धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले दान को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैः-

१. प्रत्यक्ष दान

'प्रत्यक्ष दान' का अभिप्राय धनराशि या सामाग्री लाभार्थी को प्रत्यक्षतः ही प्रदान करने से है। इस लेन-देन में कोई मध्यस्थ या संस्थान सम्मिलित नहीं होता है। लाभार्थी का चयन एवं धनराशि आदि का अन्तरण दाता द्वारा स्वयं किया जाता है। इस प्रकार के प्रकरणों में भी उत्तरदेयता से सम्बन्धित प्रश्न मुख्यतः असङ्गत हो जाता है।

[२] पुरोहित वर्ग से भिन्न एक मुस्लिम समुदाय

तथापि, कुछ प्रकरणों में दाता दान-प्राप्तकर्त्ता से यह आशा रखता है कि वह धनराशि का उपयोग विवेकशीलपूर्वक करें। यह विशेषकर उस प्रकार के प्रकरण में होता है, जिसमें दाता दान प्रदान करने के पश्चात् भी दानराशि से सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार के प्रकरणों में उत्तरदेयता भी प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत होती है।

२. अक्षयनिधि या न्यास

यदि किसी दाता के पास प्रत्येक दान के साथ सम्बन्धित रहने का समय या अवसर न हो तो वह स्वयं किसी अक्षयनिधि या न्यास या संस्थान का गठन कर सकता है। इस प्रकार का संगठन दाता के निधन के पश्चात् भी उनके द्वारा आदेशित कार्य को करता रहेगा। यह संस्थानिक दान का प्रथम स्वरूप है।

यह देखा गया है कि ऐसे प्रकरणों में उत्तरदेयता भी संस्थानिक बन जाती है। यह कार्य उस व्यक्ति (संस्थापक) के द्वारा निर्देशित होना बन्द हो जाता है। इसकी अपेक्षा यह न्यास विलेख में अन्तर्निहित विचार से बन्ध जाता है।

द्वितीयतः जब दाता या संस्थापक उत्तरदेयता को लागू कराने के लिए उपस्थित नहीं रहता है तब उत्तरदेयता को विधि द्वारा लागू किया जाता है। यह प्रायः 'मुम्बई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, १९५०' जैसे किसी विनियमन का स्वरूप ले लेता है। इस प्रकार के प्रकरणों में उत्तरदेयता सक्रिय एवं कार्यात्मक रह सकती है या फिर नियमित कागज़ी कार्यवाही के अन्तर्गत यह निष्क्रिय भी हो सकती है।

३. सार्वजनिक रूप से धन उद्ग्रहण

संस्थानिक दान के द्वितीय स्वरूप के अन्तर्गत लोग किसी प्रयोजन के लिए सार्वजनिक रूप से धन राशि उद्ग्रहण करने के उद्देश्य से एक साथ इकट्ठे होते हैं। इस प्रकार के प्रकरणों में जो लोग संगठन को स्थापित करते हैं और जो उस कार्य के लिए वित्तीय रूप से योगदान करते हैं, वे मुख्यतः दो विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं।

इस प्रकार के संगठनों को उत्तरदेयता के प्रति अपना दृष्टिकोण बड़ी सावधानी पूर्वक परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। यदि इस सन्दर्भ में कोई महत्वपूर्ण सन्देह हो तो लोग धनराशि का योगदान करना बन्द कर सकते हैं। इससे संगठन को बन्द भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार के संगठनों के लिए उत्तरदेयता (या लोगों को इसके उत्तरदेयता के प्रति अनुभूति) जीवन या मृत्यु का प्रश्न हो सकती है।

अधिकांश प्रकरणों में उत्तरदेयता किसी माँग का प्रत्युत्तर होती है। यह माँग किसी संस्थान, किसी विधि या किसी दाता द्वारा की जा सकती है। किसी भी संगठन की उत्तरदेयता सम्बन्धी प्रक्रियाएँ उस उत्तरदेयता की माँग के समान ही बलशाली होती है। परन्तु बहुत ही कम प्रकरणों में उत्तरदेयता स्वतः धारित नैतिकता होती है।

डी ए डी एस स्वरूप

चूँकि उत्तरदेयता मुख्यतः बाहर से धारित नैतिकता होती है इसलिए इसके समाधान भी बाहर की ओर (बहिर्मुख) होते हैं। इस प्रकार के समाधान में अन्य लोगों को यह विश्वास दिलाना होता है कि यह संस्था नैतिक एवं उत्तरदायी है। ऐसे में कभी-कभी इनके वास्तविक क्रियान्वयन की अपेक्षा दिखावे की प्रकृति अधिक होती है।

प्रस्तुत किए गए समाधान को डी ए डी एस स्वरूप द्वारा उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। डी ए डी एस से अभिप्राय प्रकटीकरण (डी-डिस्क्लोज़र), विश्लेषण (ए-अनैलिसिस्), विकीर्णन (डी-डिस्सेमिनेशन्), तथा स्वीकृति (एस-सैन्क्शॅन्), होता है। यह स्वरूप मुख्यतः लाभकारी संस्थानों के लिए बना है जिसको गैर-लाभकारी कार्य के लिए भी स्वीकार किया गया है।

प्रोफेसर रेजिना ई० हर्ज़लिंगर[३] के अनुसार गैर-लाभकारी संस्थाओं तथा सरकारों का कार्य-निष्पादन गोपनीयता के आवरण से आच्छादित रहता है जो कि केवल किसी आपदा के उत्पन्न होने पर ही उठता है। इसके अतिरिक्त बिना किसी सूचना के जनता यह जान नहीं सकती है कि संस्था अपना लक्ष्य प्रभावशाली एवं कुशलता-पूर्वक पूरा कर रही है या नहीं।

इसलिए प्रोफेसर ने परामर्श दिया कि गैर-लाभकारी संस्थाओं को अपने कार्य के सम्बन्ध में वित्तीय एवं परिमाणात्मक सूचनाओं को प्रकट करते रहना चाहिए। इस प्रकार की सूचनाओं का विश्लेषण व्यावसायिक स्तर से किया जाना चाहिए।

---

[३] 'कैन पब्लिक ट्रस्ट इन नॉन-प्रॉफिट्स् एण्ड गवर्नमैण्ट् बी रिस्टोर्ड् ?' रेजिना ई० हर्ज़लिंगर, पृष्ठ संख्या १-२७, *हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू ऑन नॉन-प्रॉफिट्स्, १९९९*

एक बार आम जनता के समक्ष विश्लेषण उपलब्ध होने पर वह यह निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगी कि क्या संस्था पर अनुशास्तियाँ लगाई जानी चाहिए या उस संस्था को और अधिक उत्साह से सहयोग देना चाहिए।

यह स्वरूप उत्तम प्रतीत होता है। हालाँकि, इस प्रकार के स्वरूप पर वृहत स्तर पर कार्य करने के लिए कई प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता पड़ती है:-

१ इसका विश्लेषण कौन करेगा तथा उस विश्लेषण के लिए उनको भुगतान कौन करेगा?

२ क्या आम जनता भी इस प्रकार के विश्लेषण में रूचि लेगी या केवल सम्भावित दाता ही इस विश्लेषण का उपयोग करेंगे ?

३ दाताओं को पक्षपाती, प्रायोजित विश्लेषण, जो कि लाभकारी क्षेत्र मे प्रायः आम होता है, से बचाने के लिए कैसी प्रणाली को अपनाया जाएगा ?

४ क्या इस प्रकार की प्रणाली का दुरूपयोग उन कार्यकर्त्ताओं के समूह के विरूद्ध नहीं किया जाएगा जो कि प्रायः प्रभावशाली हितों को चुनौती देते रहते हैं ?

५ क्या इस प्रकार की प्रणाली से वृहत स्तर की दीनवत्सलता[४] के विकास का मार्गप्रदर्शन होगा क्योंकि वे इस प्रकार के डीएडीएस स्वरूप के संचालन में अधिक कुशल होंगे ?

यह स्वरूप इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि आम जनता या दाता इस सन्दर्भ में अवश्य ही चिन्तित होंगे या और अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यह पूर्वधारणा निगमित क्षेत्र में विफल हो गई है जहाँ पर लाभ के लक्ष्य को सामाजिक कल्याण जैसे तथ्यों से अधिक महत्व दिया जाता है।

इस प्रकार के निराशावाद के होते हुए भी कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए उत्तरदेयता एक महत्वपूर्ण विचार-वस्तु के रूप में उभर रही है। इसलिए लेखा योग के अङ्कों की यह श्रृंखला इसके विकल्पों की खोज की दिशा में एक संतुलित प्रयास है।

[४] लाभकारी संगठनों में ऐसा पहले ही हो चुका है, जहाँ पर छोटे संगठन इलैक्ट्रानिक एवं संचार संसाधनों या वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में बड़े निगमों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते।

सन्दर्भ

१ *हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू ऑन नॉन प्रॉफिटस्*, हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल पब्लिशिंग, बोस्टन, १९९९

शब्दावली

अनुशास्तियाँ - सैन्क्शॅन्स्
अन्तरण - ट्रान्सफ़र्
अवधारणा - कॉन्सेप्ट
उत्तरदेयता - अकाउण्टेबिलिटी
त्याग - रिलिन्क्विशमेण्ट
दीनवत्सलता - चैरिटि
दशांश-कर - टाइद
न्यास विलेख - ट्रस्ट डीड
निगमित - कॉरपोरेट
निर्दिष्ट - स्पेसिफ़ाइड्
निराशावाद - पेसिमिज़्म
परिमाणात्मक - क्वान्टिटेटिव
पूर्वधारणा - प्रीकॉन्सेप्ट
प्रवर्तित - एन्फोर्समेण्ट
प्रत्युत्तर - रिस्पॉन्स
प्रायोजित - स्पोन्सर्ड्
स्वैच्छिक - वॉलैन्टरि
संरचित - स्ट्रक्चॅर्ड
सार्वजनिक - जेनरल
विनिर्दिष्ट - स्पेसिफ़िक
विवेकशीलपूर्वक - जूडिशियस्ली
विश्लेषण - अनैलिसिस्

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग २७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। चयनित लेखा·योग अङ्कों का वाभस्वरूप भी वहीं उपलब्ध है।

प्रत्याख्यान (डिसक्लेमर) - हम यह मानते हैं कि किसी भी धर्म की विभिन्न धार्मिक जटिलताओं का प्रमाणिक निर्वचन उस धर्म के आचार्य या उसमें विश्वास रखने वाले ही कर सकते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत की गई विभिन्न धार्मिक प्रकियाओं का सिंहावलोकन केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसका प्रयोजन किसी भी मत का अनादर अथवा खण्डन करना नहीं है।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष / प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India विक्रम संवत् आषाढ़ २०६३; जून २००६ ईस्वी।